>

Title : Need to review the Land Acquisition Act, 1894 to protect the interest of land outees due to setting up of SEZ in the industrial, mining and coal sectors.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोल इंडिया द्वारा किसानों की भूमि का जो अधिग्रहण किया जा रहा है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। पावर प्लांट के लिए और रेल के लिए जो भूमि अधिगृहीत की जाती है, उसके बारे में हाउस में बताया गया है। देश में आजादी के बाद आज तक ब्रिटिशकालीन कानून चल रहे हैं। वर्ष 1894 का जो भूमि अधिग्रहण कानून बना है, उसके अंतर्गत किसानों की भूमि अधिगृहीत की जाती है, उसमें अतिशय अल्प दाम उसे दिया जाता है। इसमें 20 हजार रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से चंद्रपुर, यवतमाल और नागपुर क्षेत्र में किसानों को भूमि का दाम दिया जा रहा है। कोल इंडिया की डब्ल्यू शैल ईकाई जितनी भूमि अधिगृहीत कर रही है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जिले चंद्रपुर में करीब-करीब बीस हजार हेक्टेयर जमीन अभी तक ली है। अभी 33 हजार हेक्टेयर लैंड उन्हें अभी और लेनी है। नागपुर और यवतमाल में भी इतनी ही लैंड लेनी है। पूरे देश के आठ राज्यों में कोयले का उत्खनन होता है और उसके लिए भूमि अधिगृहीत की जाती है। उसके लिए बहुत कम दाम दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक एकड़ भूमि में पांच करोड़ का कोयला निकलता है और वहां पर किसानों के हाथ में बीस से चालीस हजार रूपए मिलते हैं। सरकार ने अभी तक जो भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 का लागू कर रखा है, उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए सरकार बार-बार घोषणा करती है। यहां पर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि सिंगूर, नंदीग्राम, मेरठ और आगरा में कई बार किसानों ने आंदोलन किए हैं और महाराष्ट्र में भी आंदोलन चल रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री हंसराज गं. अहीर : मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पुलिस के माध्यम से आंदोलन के किसानों को गोलियां मारी जा रही है और पुलिस की मदद से भूमि अधिग्रहण किया जाता है। उद्योगों के लिए, कोल माइंस के लिए, सेज के लिए, पावर प्लांट के लिए और रेल के लिए जो भूमि अधिग्रहण होता है, उसमें किसानों को उनकी मर्जी का दाम मिलना चाहिए। यहां किसानों से कुछ पूछा नहीं जाता, उनसे निगोसिएशन नहीं किया जाता है और कानून की अंतः आड़ में इन किसानों की भूमि जब्त कर ली जाती है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं? जो नहीं हो रहा है, वह बोल ही रहे हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : सरकार ने दो सत्र पहले भी यह कहा था कि भूमि अधिग्रहण कानून में अमेंडमेंट लाने के लिए बिल लाएंगे। मैं आज फिर मंत्री जी से कहूंगा, हमारे पूर्व के सदस्यों ने भी यहां इस विषय को रखा है। ...(व्यवधान) मैं विनती करूंगा कि लोकसभा के इसी सत्र में भूमि अधिग्रहण अमेंडमेंट लाया जाए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक ही बात को दोहरा रहे हैं। कितनी बार उसी को दोहरायेंगे?

â€¦(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : यह विषय गंभीर है। â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपकी बात सुन रहे हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी): यह बहुत गंभीर मामला है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बार-बार क्यों खड़े होते हैं? वह अपनी बात कहेंगे।

â€¦(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : देश में हजारों किसान लूटे जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेंडमेंट लाना चाहिए, सिर्फ घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सत्र में बिल लाया जाए और अमेंडमेंट हो और किसानों के साथ न्याय हो। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : किसानों के साथ जो लूट हो रही है, छल हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसे रोकना चाहिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : बिल लाने के लिए आप घोषणा करिए कि इस सत्र में बिल आएगा। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :

श्री अर्जुन राम मेघवाल,

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र अपने आपको श्री हंसराज गं. अहीर के साथ संबद्ध करते हैं।

â€¦(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Deputy-Speaker, Sir, as far as Land Acquisition Act is concerned, this is an old Act. There is a demand from hon. Members of Parliament to bring an amendment to this Act. The Government is also in the process of finalizing the Land Acquisition (Amendment) Bill. So, it is in the process.